

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -1017/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन
जोन-तृतीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स श्री गुप्ता एजेन्सीज,
बी-2, एस.एस. टाउन, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या -1033/2010/जयपुर

मैसर्स श्री गुप्ता एजेन्सीज,
बी-2, एस.एस. टाउन, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन
जोन-तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक।
श्री अजय रस्तोगी
अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

.....व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 22.05.2018

निर्णय

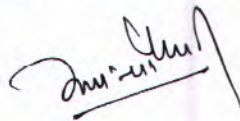
1. उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 9/अपील-द्वितीय/08-09/जेपीबी में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 पारित संयुक्त निर्णय 29.12.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये अन्तर कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रख कर इन बिन्दुओं पर अपील अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2.

2. उक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जायेगी।
3. उक्त प्रकरणों के संक्षेप में तथ्यों इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 11.10.2007 को व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच में पाया गया कि व्यवहारी के वर्ष 2005-06 से संबंधित रिकॉर्ड में 'डिजिटल डेकोडर मय एसेसरीज' का भी व्यवहार कर रहा है। व्यवहारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर पर राज्य के बाहर से आयात कर रहा है तथा इसका बेचना लीज पर करना प्रदर्शित कर रहा था। जिसके लिये वह अपने डीलर्स को एक डिलीवरी/एडवाइस मीमो भी तैयार करता है व उस पर 4 प्रतिशत लीजिंग टैक्स संग्रहित कर राजकोष में जमा करना बताया गया है। प्रतिसैट रुपये 600/- लीज राशि पर 4 प्रतिशत लीजिंग टैक्स प्रदर्शित किया गया तथा शेष राशि बतौर सिक्यूरिटी लेना बताया। डीलर्स/एडवाइस मीमो ही इसका डाक्यूमेंट है। इसके अवलोकन करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डिजिटल डेकोडर लीज पर लेने के प्रमाण स्वरूप प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर किसी भी डिस्पेंच/एडवाइस मीमो पर नहीं पाये गये। इन डिजिटल डेकोडर को लीज पर देना नहीं अपितु इसकी बिक्री करना पाया गया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद भी लीज पर देने व अन्य कोई प्रमाण पेश नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के डिजिटल डेकोडर बेचान की सूची की जांच कर पाया की आउटराइट खरीद है तथा लीज पर प्राप्त नहीं किया है जबकि इसे विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया कि अपीलार्थी ने कुल 60,36,000/- रुपये के डिजिटल डेकोडर व Viewing Card की बिक्री को लीज पर दिया जाना बताकर राज्य सरकार को उक्त विक्रय राशि पर 12 प्रतिशत कर की हानि पहुंचाई गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.03.2008 में विक्रय राशि 60,36,000/- रुपये पर 12 प्रतिशत की दर से 7,24,320/- रुपये का करारोपण किया गया तथा धारा 65 के तहत करापवंचन की शास्ति 14,48,640/- रुपये एवं 188350 रुपये ब्याज की राशि सहित कुल वसूली योग्य राशि 23,61,310/- रुपये का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2009 में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज का यथावत करते हुए धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 29.12.2009 से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखने के विरुद्ध तथा राजस्व/विभाग द्वारा शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

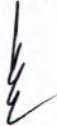
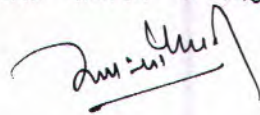
लगातार.....3.

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
5. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा फर्म मैसर्स ASC Enterprise New Delhi & M/s Essel Agro P. Ltd Delhi से वर्ष के दौरान 2400 यूनिट डिजिटल डिकोडर स्टॉक ट्रांसफर पर मंगवाया है तथा जिसका वह स्वयं सी.एण्ड एफ. एजेंट है व यह समव्यवहार Supplied against refundable security deposit for instalation at customer premises against rental not for sale है। इस माल को आगे डिलर्स को Stock Transfer invoice पर दिया गया है जिसमें डीलर्स से प्राप्त किए भुगतान के संबंध में बताया है कि "We have received the amount as an amount of security Deposit." व्यवहारी ने ग्राहकों को वी.सी. कार्ड चीप सप्लाय की गई है तथा इस पर वसूल किये गये चार्जज रिफण्डेबल सिक्यूरिटी है तथा वह इसकी बिक्री नहीं करता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त डिस एन्टीना मय एसेसरीज को घोषणा पत्र एस.टी. 18 एवं एफ फार्म के द्वारा कन्साईनमेन्ट बेसिस पर राज्य के बाहर से आयात किये जाकर बिना कोई उक्त माल का मूल्य वसूल किए तथा बिना किसी प्रतिफल के ग्राहकों को सप्लाय किये जाते हैं इसलिए उक्त संव्यवहार बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। विभिन्न व्यवसायों से जांच की प्रतियां न तो व्यवहारी को उपलब्ध करायी गयी और न ही उक्त जांच का कॉस एग्जामिनेशन कराया गया। एकतरफा जांच के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर व्यवहारी के व्यवसाय की प्रकृति भिन्न मान ली गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के बाहर से मंगाये गये माल के विरुद्ध जारी एस.टी. 18ए व एफ-फार्म का गलत आशय लिया गया कि बिक्री हेतु मंगवाए जाने के कारण व्यवहारी द्वारा एफ-फार्म जारी किया गया व माल एस.टी. 18ए से मंगवाया गया है। व्यवहारी द्वारा उक्त घोषण पत्र में कहीं भी यह घोषित नहीं किया गया है कि उक्त माल उसके द्वारा बिक्री हेतु मंगवाया गया है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को डिजिटल डिकोडर पर कर ही आरोपण करना था तो भी उसे अधिसूचना सं. 174 दिनांक 24.03.2005 की प्रविष्टि सं. 89 के अन्तर्गत वायरलेस उपकरण पर अधिसूचित कर की दर 5 प्रतिशत से करारोपण करना चाहिये था क्योंकि डिजिटल डिकोडर वायरलेस उपकरण का ही एक रूप है। व्यवहारी द्वारा बाहर से आयतित माल को लीज पर दिया जाकर उस पर 4 प्रतिशत लीजिंग टैक्स संग्रहित कर राज्यकोष में जमा कराये जाने के कारण जो दस्तावेजों से प्रमाणित है फिर भी उसे बिक्री मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12 प्रतिशत से किया गया करारोपण अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

लगातार.....4.

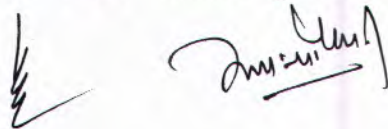
6. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल (वैट) रिवीजन पिटीशन नम्बर 179/14 प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2015 को पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में माल के विक्रेता एवं उद्धरित निर्णय में माल के विक्रेता एक ही है और माननीय उच्च न्यायालय ने समान बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय के प्रकाश में निर्णय करने का निवेदन किया गया।
7. विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी फर्म का दिनांक 11.10.2007 को सर्वेक्षण बिजनेस मैनेजर फर्म की उपस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 से संबंधित रिकॉर्ड में 'डिजिटल डेकोडर मय एसेसरीज' का भी व्यवहार कर रहा है तथा व्यवहारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर पर राज्य के बाहर से आयात कर रहा है एवं इसका बेचना लीज पर करना प्रदर्शित कर रहा था। उस पर 4 प्रतिशत लीजिंग टैक्स प्रदर्शित किया गया है व शेष राशि सिक्यूरिटी लेना बताया है किन्तु डीलर्स/कस्टमर से इस संबंध में कोई लीज एग्रीमेन्ट करना नहीं बताया गया है। डिस्पेंच/एडवाईस इसका दस्तावेज बताया गया है। किन्तु डिजिटल डेकोडर के लेने के परिणामस्वरूप प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर डिस्पेंच/एडवाईस मीमो पर नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डिजिटल डेकोडर को लीज पर देने की बजाय बिक्री माना गया जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गयी है।
8. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे यह कथन किया गया कि व्यवहारी को नोटिस की पालना में उपस्थिति दर्ज की गयी किन्तु व्यवहारी लीज पर देने का अन्य कोई भी प्रमाण पेश करने में असफल रहे। अतः व्यवहारी से उसके द्वारा डिजिटल डेकोडर बेचान की सूची प्राप्त की गयी जिसकी जांच की गयी तो डिजिटल डेकोडर प्राप्तकर्ताओं द्वारा बताया गया कि यह उनकी आउटराइट खरीद है तथ इसे उसने लीज पर प्राप्त नहीं किया है वे डीलर इसे आगे लीज पर देने/उसका रिकॉर्ड अवलोकन हेतु पेश करने में असफल रहे। व्यवहारी फर्म द्वारा डिजिटल डेकोडर का आउटराइट विक्रय किया है इस संबंध में व्यवहारी को धारा 29, 58, 65 संपठित धारा 100 के तहत दिनांक 29.02.2008 को नोटिस जारी किया गया कि डिजिटल डेकोडर व एसेसरीज 2400 यूनिट लीज राशि रुपये 14,40,000/- प्राप्त करना बताया है। 2400 यूनिट डिजिटल डेकोडर 14 प्रतिशत कर योग्य विक्रय माना जाकर अपवंचित/प्रवर्जित कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की जाना विधि सम्मत है। अतः राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा

लगातार.....5.

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2008 का समर्थन किया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से कर योग्य माल घोषणा-पत्र एस.टी.18ए व 'एफ' फॉर्म के समर्थन से विक्रय हेतु आयात कर स्थानीय व्यवहारियों को विक्रय किया है, जिन्होंने कर चुकी खरीद दर्शाते हुए माल का जमाखर्च अपने लेखा-पुस्तकों में किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसका अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व/विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की राशि जो अपास्त की गई है उसको पुनर्स्थापित किया जाकर राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

9. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों के संबंध में यह तर्क रहा है कि व्यवहारी द्वारा बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखापुस्तिकाओं में दर्ज कर किसी संव्यवहार को छिपाया नहीं गया है। अतः शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के शास्ति को अपास्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की Coordinate Bench द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 2644/2011 तथा 518/2012/हनुमानगढ़ उनवान मैसर्स नरेन्द्रा मोटर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.03.2017 के प्रकरण के तथ्य एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य समान है। राजस्थान कर बोर्ड के उक्त अपीलों में प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सिविल (वैट) रिवीजन पिटीशन नम्बर 179/14 M/s Ronak Distributors (p) Ltd. Vs CTO (Anti Evasion), Udaipur निर्णय दिनांक 14.01.2015 में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। हस्तगत प्रकरण उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से आच्छादित है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रकरण कर निर्धारण

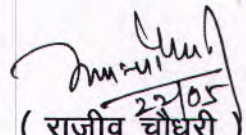


लगातार.....6.

अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल (वैट)रिवीजन पिटीशन नम्बर 179/14 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2015 को पारित निर्णय के प्रकाश में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

11. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य